न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री थायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS No 2022/78
दायरा तिथि : 07.03.2022
आदेश तिथि : 13-07-22

प्रार्थी :–
करणसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत
निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज0)
ब ना म
अप्रार्थी :–
ग्राम पंचायत, बीजापुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश　　　　　　　　　　दिनांक : 13-07-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 527 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 528 रकबा 50.0600 हैक्टर किस्म बारानी सोयम ग्राम पंचायत बीजापुर की गोचर भूमि मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू. अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/943 दिनांक 0404.2022 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रस्तावित रास्ता गोचर की भूमि मेंसे प्रस्तावित रास्ता होने तथा गोचर भूमि धारा 16 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से खारिज योग्य बताया। आवेदित व प्रस्तावित भूमि गोचर होने से तहसीलदार, बाली से पुनः वैकल्पिक रास्ता बाबत् प्रस्ताव चाहे गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली व भू0अ0नि0 बीजापुर ने जांच कर अपने पत्रांक/राजस्व/2022/1804 दिनांक 17. 06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 527 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि श्री करणसिंह पुत्र हिम्मतसिं हि. 1/2 राजपूत सा. गलथनी तहसील सुमेरपुर व उत्तमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपुत निवासी जयपुर के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद हैं
2. यह हैं कि खसरा नंबर 527 रकबा 0.50 हैक्टर गोचर भूमि के खसरा नंबर 528 के बीच में स्थित हैं अतः खसरा नंबर 526, 525 व 529, 530, 533 व 535 मेंसे रास्ता प्रार्थी को भू.अ.नि. बीजापुर के द्वारा बताया गया परन्तु आवेदनकर्ता उतना लम्बा रास्ता लेने हेतु सहमत नहीं हुआ। प्रार्थी ने खसरा नंबर 548, 547 व 546 एवं 528 मेंसे होकर रास्ता 6 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया एवं खसरा नंबर 528 गै.मु. गोचर मेंसे रास्ते के उपयोग की भूमि के बदले स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 527 रकबा 0.500 हैक्टर मेंसे क्षतिपूर्ति से गोचर में देने हेतु सहमति हैं।
3. यह हैं कि रास्ते हेतु वैकल्पिक रास्ते के रूप में भूमि का खसरा वार विवरण निम्नानुसार है:'

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
01	546	2.67	बा.दो.	124X6=744 वर्ग मीटर	डिम्पल पुत्र छगनलाल घांची वगैरा निवासी बीजापुर तहसील बाली
02	547	0.35	गै.मु. मगरा	64X6=384 वर्ग मीटर	राजस्थान सरकार सिवाय चक
03	548	0.75	बा.दो.	76X6=456 वर्ग मीटर	धर्मेन्द्रकुमार पुत्र गलबाराम घांची 1/2 सोहनलाल पुत्र गलबराम घांची 1/2
04	528	50.60	गै.मु. मगरा	220X6=1320वर्ग मीटर	गोचर

4. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 548 सडक पर 201758/–रुपये प्रति हैक्टर एवं खसरा नंबर 546, 547, 548 के लिए डी.एल.सी. दर 136836/– प्रति हैक्टर है।

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS No 2022/78
अनवान करणसिंह बनाम ग्राम पंचायत बीजापुर
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

तहसीलदार, बाली से पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री ललित चतुर्वेदी ने न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के लिये तलब की गई रिपोर्ट से असहमति प्रकट करते हुये दलील दी गई कि उनके द्वारा आवेदित रास्ता मौके पर चालू है तथा वैकल्पिक रास्ते से लम्बाई में कम है। जिससे आवेदित रूट से ही रास्ता दिया जाये तथा रास्ते में जाने वाली गोचर की भूमि के बदले प्रार्थी की खातेदारी मेंसे भूमि कम करते हुये गोचर दर्ज की जावे।

पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि खसरा नंबर 528 मेंसे रास्ता चाहा गया है, उसकी किस्म गै.मु. गोचर है, जिससे उक्त भूमि मेंसे प्रतिबंधित भूमि होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता। परन्तु प्रार्थी की दलीलो के अनुसार मौके पर रास्ता है, परन्तु रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये मौके पर रास्ते की आवश्यकता नहीं है। परन्तु रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 251(ए) खारिज किया जाता है। तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–8) विभाग के परिपत्र क्रमॉक प. 3(171) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता मौके पर मौजुद होने से कदीमी रास्ता बाबत् प्रकरण का परीक्षण करते हुये कदीमी रास्ता दर्ज कराये जाने बाबत् नियमानुसार पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 15-07-22

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3051-54
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. आवेदक श्री करणसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner